सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 392 राँची, मंगलवार, 23 जून, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

13 सितम्बर, 2024

विषयः- केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रख-रखाव/उन्नयन योजना अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण प्रति केन्द्र रू.-35,409/- एवं पेयजल की व्यवस्था प्रति केन्द्र रू०-20,741/- के संशोधित दर पर करने की स्वीकृति।

ज्ञापांक :- 05/म.स.-T & DW -स्वी.-139/2023-2256--राज्य अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 क्रियान्वित है। इसके तहत् राज्य में कार्यशील 38,432 आंगनबाड़ी/लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक संरचना एवं संसाधन युक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इसके लाभूकों को आँगनबाड़ी सेवाएँ यथा-शाला पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार वितरण, टीकाकरण, संदर्भ सेवाएँ इत्यादि सुलभतापूर्वक एवं नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा सके।

2. इन आँगनबाड़ी केन्द्रों के लाभूक वर्ग में 06 माह-06 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, धात्री माताएँ एवं किशोरी बालिकाएँ सम्मिलित हैं। ऐसे संवेदनशील लाभूक वर्ग के दृष्टिगत् इन केन्द्रों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। सम्प्रति राज्य में कार्यशील 14,129 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था एवं 13,731 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गनिर्देशांक-11-36/2016-CD-I,दिनांक-23.11.2017 के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प सं॰-1937, दिनांक-16.07.2018 के प्रावधानानुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू॰-12,000/- तथा पेयजल व्यवस्था हेतु प्रति केन्द्र रू॰-10,000/- की दर से व्यय निर्धारित है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने संशोधित मार्गनिर्देशांक-11/4/2021-CD-I (e-95706), दिनांक-01.08.2022 एवं एतद् आलोक में निर्गत विभागीय संकल्पांक-2147, दिनांक-31.07.2023 द्वारां प्रावधान किये गये कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण तथा पेयजल व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन के तहत् सम्पादित कराये जायेंगे तथापि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनः अपने:-

i. पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II (C No.-43648),दिनांक-12.09.2022 के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू॰-36,000/- की व्यय दर स्वीकृत की गई एवं पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II Part-(3), दिनांक-26.12.2022 द्वारा राज्य के 6951 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण कराने हेतु कुल रू॰-2502.36 लाख स्वीकृत करते हुए रू॰1000.94 लाख केन्द्रीय अंश (60%) विमुक्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि शौचालय निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II,दिनांक-29.12.2017 एवं पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II, दिनांक-01.03.2019 द्वारा कुल रू॰-500.47 लाख केन्द्रीय अंश पूर्व में विमुक्त की गई है।

अतएव आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण हेतु सम्प्रति कुल रू॰1501.41 लाख केन्द्रांश राज्य के पास उपलब्ध है। एतद् निधि एवं इसके अनुपातिक राज्यांश रू०-1000.94 लाख सहित कुल रू०-2502.35 लाख, सम्प्रति अव्यवहृत है एवं संबद्ध SNA में संधारित है।

ii. पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II, दिनांक-29.03.2023 के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु प्रति केन्द्र रू॰-17,000/- की व्यय दर स्वीकृत की गई एवं राज्य के 14,129 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कुल रू॰2401.93 लाख स्वीकृत करते हुएरू॰1349.12 लाख केन्द्रीय अंश (60%) विमुक्त की गई है।

उल्लेखनीय है कि पेयजल व्यवस्था हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II, दिनांक-29.12.2017 एवं पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II, दिनांक-01.03.2019 द्वारा कुल रू॰-92.04 लाख केन्द्रीय अंश पूर्व में विमुक्त की गई है।

अतएव आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था निर्माण हेतु सम्प्रति कुल रू॰1441.16 लाख केन्द्रांश राज्य के पास उपलब्ध है। एतद् निधि एवं इसके अनुपातिक राज्यांश रू०-960.78 लाख सहित कुल रू०-2401.94 लाख, सम्प्रति अव्यवहृत है एवं संबद्ध SNA में संधारित है।

4 केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण/रख-रखाव/उन्नयन योजना अधीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था कराये जाने है जिसके तहत् व्यय अनुपात केन्द्रांश एवं राज्यांश के60: 40 में निर्धारित है।

5 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों, प्राक्कलन एवं निर्धारित दर (कंडिका-3. i & ii में वर्णित) के आलोक में प्रशासी विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा राज्यान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों की संरचनात्मक स्थिति, इसकी आवश्यकताओं एवं SOR आधारित तकनिकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन उनके पत्रांक-261, दिनांक-12.02.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। एतद् प्राक्कलन के तहत् आंगनबाड़ी केन्द्रों में-

i शौचालय निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू॰-35,409/-

ii पेयजल व्यवस्था निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू०-20,741/-

- की तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसमें इस तथ्य को भी समाहित किया गया है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों के पुराने निर्माण के कारण छत पर Storage Tank अधिष्ठापन हेतु मजबूत एवं स्थायी तथा आवश्यक निर्माण न होने के कारण एक उच्च प्लेटफॉर्म का निर्माण, जो भारत सरकार द्वारा निदेर्शित अवयव के अतिरिक्त होगा, कराया जायेगा।

6 वर्णित संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्न प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हैं-

i. राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू॰-35,409/- के संशोधित दर से व्यय किया जायेगा। एतद् संदर्भ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-261, दिनांक-12.02.2024 के माध्यम से तकनिकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पादित कराये जायेंगे। इस क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II (C No.-43648),दिनांक-12.09.2022 तथा एवं पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II Part-(3), दिनांक-26.12.2022 के माध्यम से निर्दिष्ट अवयवों की/का व्यवस्था/निर्माण सुनिश्चित कराया जायेगा।

ii. राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था निर्माण हेतु प्रति केन्द्र रू॰-20,741/- की संशोधित दर से व्यय किया जायेगा। एतद् संदर्भ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-261, दिनांक-12.02.2024 के माध्यम से तकनिकि स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पादित कराये जायेंगे। एतद् क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-CD-II-14/7/2017-CD-II,दिनांक-29.03.2023 के माध्यम से निर्दिष्ट अवयवों की/का व्यवस्था/निर्माण सुनिश्चित कराया जायेगा।

iii. आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था निर्माण राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, जिला स्तर के माध्यम से सुनिश्चित कराने पर निर्णयन प्रशासी विभाग स्वंय स्तर से कर सकेगा ताकि कार्य शीघ्र सम्पादित कराये जा सकें।

iv आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण हेतु उपर्युक्त दर पर व्यय केन्द्रांश एवं राज्यांश के 60:40 अनुपात में कराये जायेंगे।

v महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था निर्माण हेतु रू०-17,000/- प्रति केन्द्र निर्धारित है जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का व्यय अनुपात 60:40 होगा। अतएव पेयजल व्यवस्था निर्माण हेतु रू०-3,741/- अतिरिक्त व्यय (रू०-20,741)-(रू०-17,000/) राज्य मद से Top-UPकर वहन कराया जायेगा।

vi राशि का व्यय, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण SNA मापदंडों के अनुपालन में कराये जायेंगे। राज्य मद से की जानेवाली अतिरेक व्यय यथा- Top-Up निधि का व्यय X-Flagging कर कराई

जायेगी। एतद् संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जायेगी।

vii एतद् संबंधी प्रावधान अगले आदेश तक प्रभावी होंगे एवं इस क्रम में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों/आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई सुनिश्चित कराई जायेगी।

7 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति एवं विमुक्त केन्द्रीय अंश के आलोक में 6951 आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण तथा 14,129 आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था निर्माण कंडिका-06 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत् कराई जायेगी।

राज्य के शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों में जहाँ शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी वहाँ भारत सरकार से केन्द्रीय अंश प्राप्त कर अनुपातिक राज्यांश सहित व्यय कर एतद् संबंधी कार्यों का सम्पादन कंडिका-06 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कराये जायेंगे।

उपर्युक्त कार्रवाई के क्रम में सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्दिष्ट निर्माण संबंधी किसी प्रकार का दुहराव न हो।

8 उपर्युक्त कार्य हेतु राशि की निकासी एवं व्यय आवश्यकतानुरूप निम्न बजटीय शीर्षों:-

(क) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष - 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BI-स्वच्छता कार्य योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना- बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष - 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, उपशीर्ष-BI-स्वच्छता कार्य योजना ;

-के उपयुक्त अनुगामी शीर्षों/इकाईयों के अधीन की जायेगी।

9 उपर्युक्त कार्य हेतु योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में क्रमशः रू०-1501.80 लाख एवं रू०-1001.20 लाख अर्थात कुल रू०-2503.00 लाख का बजटीय उपबंध प्राप्त है। राज्य Top-Up मद से व्यय हेतु आवश्यक बजटीय उपबंध आगामी अनुपूरक से प्राप्त किया जायेगा॥

तथापि उपर्युक्त कार्य हेतु रू०-2942.57 लाख केन्द्रांश एवं रू०-1961.72 लाख अर्थात कुल रू॰-4904.29 लाख विभाग के पास उपलब्ध है एवं संबद्ध SNA खाता में संधारित है (कंडिका-3 प - पप में यथा उल्लिखित) तथा इनका व्यय उपर्युक्त स्वीकृति उपरांत कराई जा सकेगी।

10 एतद् संबंधी प्रावधान इसके संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

11 एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-06.09.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या-29 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 392 - 50